



2026: AHC-LKO: 20066

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र सं0- 1985/2026

अंकित पांडे उर्फ गोली पांडे उर्फ गोल्डी पांडे

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, सरकार, लखनऊ

..... विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : शैलेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी पक्षकार के : शासकीय अधिवक्ता

अधिवक्ता

न्यायालय सं0-13**माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ लावनिया**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में पूरक शपथ-पत्र योजित किया है और इसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा मामला अपराध सं0 259/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 317(4), 317(2), 111(4), बी0एन0एस0, पुलिस स्थानक- कोतवाली बीकापुर जनपद-अयोध्या में जमानत की मांग करते हुए योजित किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. यह कहा जाता है कि एकल गिरफ्तारी पर, आवेदक को पुलिस स्थानक- कोतवाली बीकापुर, जनपद- अयोध्या के पुलिस अधिकारियों द्वारा तीन मामलों अर्थात् मामला अपराध सं0 160/2025, मामला अपराध सं0 254/2025 और 259/2025 (प्रस्तुत मामला) में शिकंजे में लिया गया है।
5. जमानत प्रार्थना-पत्र पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।
6. यह पुनः प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को 11.09.2025 को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय नामतः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, कक्ष सं0 3, अयोध्या/फैजाबाद द्वारा मामला अपराध सं0 254/2025 में जमानत पर छोड़ा जा चुका है। यह भी कहा जाता है कि मामला अपराध सं0 160/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 317(4), 317(2), 111(4) बी0एन0एस0, पुलिस स्थानक- कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या में, आवेदक को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र सं0 1824/2026 में पारित आदेश दिनांकित 13.03.2026 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया है।
7. यह पुनः कहा जाता है कि अभियोजन के मामले के अनुसार, आवेदक ने बीकापुर, जनपद- अयोध्या स्थित आई0डी0एस0सी0 एफ0आई0आर0एस0टी0 बैंक ऑफ इण्डिया के ए0टी0एम0 से सूचनाकर्ता का धन आहरित किया।
8. यह कहा जाता है कि प्रत्येक ए टी एम में, सी सी टीवी कैमरे अधिष्ठापित हैं, यद्यपि, विवादक प्रथम सूचना प्रतिवेदन में इंगित अपराध के साथ आवेदक को संलिप्त करने के लिए अभियोजन के पास कोई सी सी टीवी चलचित्र का अंश उपलब्ध नहीं है जिसके लिए आवेदक 06.08.2025 से कारागार में है।
9. यह कहा जाता है कि सह-अभियुक्त नामतः शाहरूख और अरबाज को मामला अपराध सं0 259/2025 में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय नामतः प्रथम अपर जिला एवं सत्र

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायाधीश, आयोध्या द्वारा क्रमशः जमानत प्रार्थना-पत्र सं0 1296/2025 एवं 136/2026 में आदेश दिनांकित 11.11.2025 एवं 13.02.2026 के माध्यम से जमानत पर पहले ही छोड़ा जा चुका है। जमानत आदेशों की प्रति जमानत प्रार्थना-पत्र के संलग्नक सं0 7 और आज न्यायालय में पूरक शपथ-पत्र के संलग्नक सं0 एस ए- 2 के रूप में संलग्नित किया गया।

10. यह पुनः कहा जाता है कि आवेदक ने अपना आपराधिक पूर्ववृत्त पूरक शपथ-पत्र के प्रस्तर-2 में स्पष्ट किया है। आवेदक 06.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा किए जाने के बाद, आवेदक विधि के अनुक्रम से भाग सकता है या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है और निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष की संभावना अत्यंत धूमिल है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है।
11. विद्वान अतिरिक्त शसकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया परंतु वह अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए उपर्युक्त तर्कों का प्रतिवाद नहीं कर सके।
12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख का अवलोकन करते हुए और आरोपों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों जिसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन से संबंधित तर्क भी सम्मिलित है, पूरक शपथ-पत्र में आवेदक द्वारा स्पष्ट किए गए आपराधिक पूर्ववृत्त और कारवास की अवधि को ध्यान में रखते हुए और यह भी कि सह-अभियुक्त को जमानत पर पहले ही छोड़ा जा चुका है साथ ही निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष का मौका और मामले के गुण-दोष पर कोई राय अभिव्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त मामला होना पाता हूँ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. आवेदक-अंकित पंडे उर्फ गोली पांडे उर्फ गोल्डी पांडे को उपर्युक्त मामला अपराध में संबंधित मामले की संतुष्टि पर उसके निजी मुचलके की प्रस्तुति पर जमानत पर अविलंब छोड़ दिया जाए। आवेदक को दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिनमें से एक निम्नांकित दशाओं के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रत्येक समान राशि का, अभियुक्त-आवेदक के परिवार का सदस्य होगा।

- i. आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन को सहयोग करेगा।
- ii. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़-छाड़ नहीं करेगा।
- iii. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा/न ही डराएगा।
- iv. आवेदक कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
- v. आवेदक मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि न्यायालय से या किसी पुलिस अधिकारी से ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोक सके या साक्ष्य के साथ छेड़-छाड़ करने से रोक सके।
- vi. आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- vii. आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
- viii. आवेदक धारा 313, सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कथन के अभिलेखन के लिए निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

14. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में समझे जाने के लिए खुला रहेगा और विधि के अनुसरण में आदेश पारित कर सकेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

15. चूंकि यह आदेश आवेदक की जमानत पर रिहाई से संबंधित है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में किए गए अवलोकन का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय को इस आदेश में किए गए किसी अवलोकन द्वारा प्रभावित नहीं किया जाएगा।

16. प्रार्थना-पत्र *निस्तारित* किया जाता है।

मार्च 19, 2026

(न्यायामूर्ति श्री सौरभ लावनिया)

अरूण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।